वायुदूत लिमिटेड

fo"k; lwph

		i"B la-
1.	निदेशक मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	4
4.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	5
5.	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	11
6.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि खाता	12
7.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	13

funs'kd eaMy ¼31-01-2014 dks vuqlkj½

श्री रोहित नन्दन v/;{k

श्री एस. वेंकट

डॉ. (श्रीमती) शैफाली जुनेजा

श्रीमती पूजा जिंदल

ys[kk ijh{kd %

मैसर्स ध्रुव अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं.–5,
बीएन ब्लाक (डब्लू) दूसरी मंजिल, कर्नाटक बैंक के समीप,
शालीमार बाग (पश्चिम)
नई दिल्ली–110 088

iathÑr dk;kZy; %

सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली–110 003

fun'kdk dh fjikV

कंपनी के निदेशक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए 32वीं रिपोर्ट, कंपनी के परीक्षित लेखा विवरण सहित सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

diuh dk bfM;u ,;jykbUl fyfeVM ¼orleku e ,vj bfM;k] fy-½ d lkFk foy;

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25 मई 1993 के पत्र के माध्यम से कंपनी को पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड में विलय किए जाने के निर्णय की सूचना दी। 27 अगस्त, 2007 से प्रभावी इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड का समामेलन नैसिल में हो गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी की समूची शेयरहोल्डिंग, नैसिल अब एअर इंडिया लि. द्वारा रखी जा रही है। अतः यह कंपनी एअर इंडिया लि. के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई उड़ान प्रचालित नहीं की गई क्योंकि कंपनी के प्रचालन पूर्व नैसिल अब एअर इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए थे। वर्तमान में विलय से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक यह कंपनी एक ''शैल'' कंपनी है।

1- foÙkh; ifj.kke

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा उड़ान प्रचालन अथवा अन्य कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने प्रचालन से कोई राजस्व अर्जित नहीं किया। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में हानि मूल्यह्रास तथा लेखा परीक्षा शुल्क इत्यादि पर कुल 9.13 लाख रुपए का व्यय हुआ। वर्ष के दौरान 9.13 लाख रुपए की हानि हुई।

2- itthxr <kpk

31 मार्च, 2013 को कंपनी की जारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी, पिछले वर्ष की 36.42 करोड़ रुपए जितनी ही थी जिसमें नैसिल अब एअर इंडिया लि. द्वारा रखे गए 1000/– रुपए प्रति शेयर की दर के 3,64,200 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर हैं। वर्ष 1993–94 से कंपनी के पूंजीगत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

3- ekuo'kfDr

विलय के निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी के कर्मचारियों को एअर इंडिया लि. (पूर्व में इंडियन एयरलाइन्स लि.) में आमेलित कर लिया गया। 31.03.2013 को कंपनी की कुल मानवशक्ति, 31.03.2012 की शून्य मानवशक्ति की तुलना में शून्य ही थी।

4- depkfj;k dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के साथ पठित कंपनी नियम, 1975 (कर्मचारियों का विवरण) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना के संबंध में कर्मचारियों का विवरण शून्य है।

5- fun'kdk dh nkf;Ro fjikV

आपके निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :–

(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लिए लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था तथा इसमें वस्तुपरक अंतर नहीं है। तथापि वर्षों से प्रचलित लेखांकन नीतियों के अनुसार, वारंटी दावे, वसूली योग्य ब्याज तथा उपदान भुगतान, यदि कोई है, का लेखांकन वास्तविक रसीदों/भुगतान के आधार पर किया गया है।

(ii) चुनी गई लेखांकन नीतियां युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यविधियों एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पक्ष विवरण दिया जा सके तथा इन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में उचित लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है। इसमें कंपनी की बोर्ड बैठक के 1 से 17 की कार्यवृत्त पुस्तक के खोने की रिपोर्ट सम्मिलित है।

(iv) मई 1993 में भारत सरकार के, कंपनी को पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड (अब एअर इंडिया लि.) में विलय किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप, अप्रैल, 1997 से कंपनी कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कर रही है तथा विलय से संबंधित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लेखे तैयार किए जाते हैं। देयताओं पर भारत सरकार के ऋणस्थगन निर्णयों के अनुसार कंपनी की देयताओं को सुरक्षित रखा गया है। इसके दृष्टिगत कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लिए लेखे तद्नुसार तैयार किए गए हैं।

6- y[kk ijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292(क) के अनुसरण में गठित तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से संशोधित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में कंपनी के तीन निदेशक हैं, श्री एस. वेंकट, डॉ. शैफाली जुनेजा तथा सुश्री पूजा जिंदल। वर्ष 2012–13 के दौरान 23 दिसम्बर, 2013 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

7- lkfofèkd y[kk ijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स ध्रुव अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट को वर्ष 2012–13 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

8- lkfofèkd y[kk ijh{kdk dh fVIif.k;k d mÙkj

निदेशक मंडल ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 की रिपोर्ट में दी गई लेखा परीक्षकों की टिप्पणी को नोट कर लिया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशकों का उत्तर अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

9- Hkkjr d fu;=d vkj egky[kk ijh{kd

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के सम्मुख उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 23.01.2014 के अपने पत्र संख्या जीएपी/एएआई/ए/सीएस/6–18/2013–14/722 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वायुदूत लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं की।

10- fun’kd eMy

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं। निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :–

1.	श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नैसिल (अब एअर इंडिया लि.)	अध्यक्ष
2.	श्री एस. वेंकट निदेशक वित्त, एअर इंडिया लि.	निदेशक
3.	डॉ. (श्रीमती) शैफाली जुनेजा निदेशक वित्त नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
4.	श्रीमती पूजा जिंदल निदेशक नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक

11- èkU;okn iLrko

निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में श्री विपिन के. शर्मा द्वारा निदेशक मंडल को दी गईं बहुमूल्य सेवाओं, सहयोग/सहायता के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल हृदय से नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता तथा सत्त् सहयोग की सराहना करता है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 जनवरी 2014

Okk;qnr fyfeVsM ds 31 ekpZ] 2013 dks lekIr o"kZ ds ys[kk ij daiuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619 ¼4½ ds varxZr Hkkjr ds fu;a=d vkSj egkys[kk ijh{kd dh fVIi.kh

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ok;qnr fyfeVsM के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंध वर्ग का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अपनी व्यावसायिक संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं प्रत्याभूति मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह कार्य कर लिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ok;qnr fyfeVsM के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अनिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कृते तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
foeysUnq iVo/kZu
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जनवरी 2014

ok;qnr fy- d s lnL;k sa d s le{k y s[kk ijh{kdk sa dh fjiksV Z

foÙkh; fooj.kk sa ij fjiksV Z

1. हमने वायुदूत लि. में संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक की अवधि का तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण तथा सार्थक लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।

foÙkh; fooj.kk sa d s fy, i zca/k ox Z dh ft Eesnkjh

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उपधारा (3–सी) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय निष्पादन की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी के तहत वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन कार्यान्वयन तथा मेनटेनेंस का कार्य सम्मिलित होता है। ये वित्तीय विवरण वास्तविक तथा स्पष्ट होते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के फलस्वरूप होने वाले किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त होते हैं।

y s[kk ijh{kd dh ft Eesnkjh

3. लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने लेखा परीक्षा इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों की अपेक्षानुसार हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा वित्तीय विवरण किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण से रहित हैं, इस आश्वासन को उचित रूप से पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।

4. लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी तथा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति के जोखिम के मूल्यांकन के साथ–साथ लेखा परीक्षक के निर्णय पर भी निर्भर करती है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन की जा सकें। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आंकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड ऑडिट मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

nh xbZ jk; d s vk/kkj

I. bfM;u ,;jykbUl fyfeVsM ¼,vj bfM;k fy0½ d s lkFk d siuh d s iLrkfor foy; d s nf"Vxr xkbMsal dUlu s vk/kkj ij y s[k s r S;kj djuk %

ukxj foekuu ea=ky; u s viu s fnukad 25 ebZ 1993 d s i= l a[;k ,oh-18013@44@92&,lhoh,y d s }kjk ;g fu.kZ; fy;k Fkk fd ok;qnr fy0 dk foy; bfM;u ,;jykbUl fyo ¼tk s vc ,vj bfM;k fy0 d s lkFk foyf;r gk s xbZ g½ d s lkFk dj fn;k tk,A vuqorhZ dkjokbZ d s :Ik ea] ,vj bfM;k fy0 dh 18-21 djkM s #i, dh l ai.kZ 'k s;jèkkfjrk g S bfM;u ,;jykbUl fyo e s vrfjr dj nh xbZ g S ftl l s d siuh bfM;u ,;jykbUl fy0 ¼vc ,vj bfM;k fy0½ dh i w.kZ LokfeRo okyh lgk;d d siuh cu xbZ gSA

ok;qnr fy0 dh n s;rkvk sa vk Sj lHkh ljdkjh@lko Zt fud {k s= d s miØe@dk s n s; _.k lfoZfl x ij ikp o"kZ dk _.k LFkxu j[kk x;k gSA ukxj foekuu ea=ky; dh fnukad 3 tu] 1999 dh vfèklwpuk l a[;k ,oh-18030@3@97&,lhvkbZ, }kjk bl _.k LFkxu dk s vk Sj nk s o"kk sZa d s fy, 25 ebZ 2000 rd c<k fn;k x;k vk Sj 28 tqykbZ 2006 d s i= l a[;k ,oh 18030@3@97&,lhvkbZ, d s }kjk 30 flrEcj 2006 rd vk Sj vkx s c<k fn;k x;kA mlh :Ik ea] d siuh }kjk fy, x, _.k ij C;kt n s;rkvk sa dk s y s[kk sa e s ugh fn[kk;k x;k gSA

*foy; lacèkh dkuuh vkSipkfjdrkvk sa dh ifrZ d s yfcr gku s d s dkj.k d siuh vkt rd ,d **'k S;y d siuh** gSA vi Sy 1997 l s d siuh u rk s dkbZ mMku ipkyu vk Sj u gh vU; xfrfofèk dj jgh g S d siuh*

xkbMx dUlu ugha gq% foy; ds lecèk esa ljdkjh vkns'k ds vuqlkj daiuh dh ifjlaifÙk;ka vkSj ns;rkvksa dk [kkrk eY; ds vuqlkj n'kkZ;k tkrk gS vkSj blesa dkbZ lek;ktu ugha fd, x, gSA ifjlaifÙk;ksa ds fuoy olwyh ;kX; eY; dh u rks x.kuk gh dh xbZ gS vkSj u gh mldk fuf'pr fd;k x;k gSA bl lecèk esa ys[kkdj.k uhfr;ksa ds uksV la[;k 1-1 esa i'dVu ¼fMLDyksT;j½ dj fn;k x;k gSA

II. ukxj foekuu e=ky;] Hkkjr ljdkj us bfM;u ,;jykbUl fy- ds lkFk ok;qnr fy- ds foy; dh ;kstuk ds lecèk esa fnukad 17 tuojh] 2005 dh vfèklwpuk la- ,oh 18030@3@97&,lhvkbZ, ¼[kaM **IV**½ rFkk fnukad 21 Qjojh] 2005 dk dk;kZy; Kkiu tkjh fd;kA bu vfèklwpukvksa ds vuqlj.k esa eSllZ bfM;u ,;jykbUl fy- dk 1383075560@&#- dh ,d ckjxh xqj ;kstukc) ctVh; lgk;rk iznku dh xbZ rkfd bfM;u ,;jykbUl dN ns;kvksa dk i.kZ rFkk vfre fuiVku dj lds tks fuEukuqlkj g%&

d½	fgUnLrku ,;jksukfVDl fyfeVsM	1]14]70]00]000#-
[k½	vk;y ,.M upjy xSl deh'ku	7]88]28]767#-
x½	rsy daifu;k	8]99]92]000#-
?k½	cSad	4]37]54]793#-
M-½	vU;	2]35]00]000#-
	dqy	1]38]30]75]560#-

III. blds vfrfjDr mi;qDr vfèklwpuk rFkk fnukad 21-02-2005 ds dk;kZy; Kkiu }kjk ukxj foekuu e=ky; us uhps foLrr :i ls nh xbZ fofHkUu cdk;k ns;rkvksa dk cVVs [kkrs esa Mkyus ds fy, funs'k tkjh fd, g%&

Ø-la-	ikVhZ dk uke	ns;rk dk uke	jkf'k ¼#-½
1-	bfM;u ,;jykbUl	vjf{kr _.k ikonHkqr C;kt rFkk vU; ns;	691563232
2-	,vj bfM;k	ikonHkqr C;kt lfgr vjf{kr _.k	170637210
3-	vkbZ , , vkbZ	ikonHkqr C;kt lfgr vjf{kr _.k	77016052
4-	jk"Vªh; foekuiÙku ikfèkdj.k		148660130
5-	ukxj foekuu e=ky;	ikonHkqr C;kt lfgr vjf{kr _.k	159668187
6-	vkbZ , Vh Vh	vU; ns;rk,a	31043247
	dqy		1278588058

Uk'kuy ,;jikVZ vFkkfjVh ¼2005&06 esa iqujkfdr½ dk ns; jkf'k ds vfrfjDr mDr ns;rk,a eqy cgh eY;ksa ij fujarj n'kkZ;h tk jgh gSA ¼fVIi.kh la[;k 1-1] 2-03 ¼[k½] 2-04 ¼[k½] 2-05 ¼d½] 2-05 ¼[k½ **iii**½

IV. ukV 1 esa crkbZ xbZ ys[kkdj.k uhfr la[;k th ds vuqlkj] okjaVh nkoksa vkSj mxkgh ;kX; C;kt ds lecèk esa] mlds iHkko dk vfHkfu'p; ugha fd;k x;k gS ¼,,l&9 dk vuqikyu ugha fd;k x;k½A

V. MscV@ØsfMV esa ikfVZ;ksa ds cdk;ksa ds fofHkUu 'kh"kksZ dk feyku@iqf"Vdj.k u gksus ds vHkko esa vkSj 0;; ds ikoèkkuksa] mudh ;FkkrF;rk ij fVIi.kh ugha dh tk ldrhA

VI. fuiVku gsrq j[kh xbZ fLFkj ifjlaifÙk;ksa dk eY; foØ; eY; ds U;wure ds lEeq[k [kkrk eY; ij vFkok mlds foØ; eY; ds vuqeku ds vHkko esa [kkrk eY; ij fuèkkZfjr fd;k x;k gS ¼,,l&10 dk vuqikyu ugha fd;k x;k½A

VII. fVIi.kh Lka[;k vuqlwph 2-06% fLFkj ifjlaifÙk;k%

¼d½ blesa iwoZ ,xks ,fo,'ku fMohtu ls lkdfrd 1@&#i, ds vfdr eY; ij gLrkarfjr fLFkj ifjlaifÙk;ka 'kkfey gSA bu fLFkj ifjlaifÙk;ksa dh 1@& #i, dk eY; mfpr eY; ugha gS rFkk ;g bLVhV;wV vkQ pkVZMZ ,dkmUVsUVl vkQ bfM;k ds fLFkj ifjlaifÙk;ksa ls lacfèkr ys[kk ekud&10 ds vuq:i ugha gS ¼ys[kk ekud 10 dk vuqikyu ugha½A mfpr ckTkkj eY; fooj.k ds vHkko esa blds iHkko fuf'pr ugha fd;k tk ldk gSA

¼[k½ fVIi.kh l[;k 2-06 ¼[k½ dh vksj Hkh è;ku vkdf"kZr fd;k tkrk gS tks bf.M;u ,;jykbUl fy- }kjk ok;qnwr ds foekuksa dk iqupkyu fd, tkus rFkk foÙkh;o"kZ 2009&10 eas MCY;wMhoh ij uflyu ¼bf.M;u ,;jykbUl fy-½ dk bu foekuksa dk gLrkarfjr fd, tkus lfgr bu foekuksa ds j[kj[kko ij fd, tk jgs lHkh iwathxr O;; ds laca/k esa gSA

VIII. fVIi.kh 2-10¼ vYi vof/k ds _.k ,oa vfxze

buesa ;g _.k rFkk vfxze ds 1179950@&#i, ¼fiNys o"kZ 1179950@&#i,½ dh jkf'k 'kkfey gS ftlas dEiuh }kjk [kjk ekuk x;k gSA ikfVZ;ksa ls fdlh Hkh rjg dh iqf"V ds vHkko esa bu _.kksa rFkk vfxzeksa ds oxhZdj.k ,oa lgh gksus laca/kh fVIi.kh djuk lEHko ugha gSA

DokfyQkbM er

हमारी राय तथा सूचना तथा gesa fn, x, Li"Vhdj.k ds vuqlkj] DokfyQkbM er ds fy, vk/kkj oxZ iSjkxzkQ में वर्णित तथ्य के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैः

क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति

ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि।

vU; oS/kkfud rFkk fofu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ

6. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक **,** में दिया गया है।

7. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई है जैसाकि इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र तथा लाभ हानि खाता लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं।

ड.) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की राजपत्रित अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(जी) के प्रावधानों को लागू करने से छूट प्राप्त है।

च) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 ए के तहत ऐसी कोई अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किस दर से एवं किस रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी पर कोई भी शुल्क लंबित एवं देय नहीं है।

कृते तथा उनकी ओर से
ekgu vxzoky ,.M dEiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005469N

हस्ता./–
¼fryd jkt pkoyk½
भागीदार
सदस्यता सं. 095619

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

y[kk ijh{kdk dh fjikV dk vuyXud

ok;nr fy- d fnukd 31 ekp 2013 dk lekIr o"k d y[kk ij y[kk ijh{kd dh fjikV e mfYyf[kr vuyXud tk lel[;d frfFk dh gekjh fjikV d ijk 1 e mfYyf[kr gA

1 (क) कंपनी द्वारा रिकार्ड रखा जाता है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों का मात्रापरक विवरण तथा स्थिति का पूर्ण ब्योरा दर्शाया जाता है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 तथा 350 की अपेक्षाओं के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर नहीं बनाया गया है चूंकि उसमें अधिशेष, मात्रा, स्थान, मूल लागत, मूल्यह्रास का विवरण नहीं दिया गया है। तथापि इसमें विमानों, विमानों के इंजन तथा वाहनों के स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर शामिल नहीं हैं जिसमें उक्त विवरण उपलब्ध है।

(ख) कंपनी की अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए कंपनी की अपनी कोई नीति नहीं है। स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में संबंधित रिकार्ड उपलब्ध न होने से हम विमानों तथा इंजनों को छोड़कर दिनांक 31.03.2013 तक की स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची में दी गई मदों के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों की उपलब्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान अन्य स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। तथापि, उपयुक्त स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर के न होने से विसंगतियों, यदि कोई हैं तो उनका पता नहीं लग सका। इनमें से अधिकांश परिसंपत्तियों का उपयोग मैसर्स इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में एअर इंडिया लि.) द्वारा किया गया।

(ग) वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया गया जो कंपनी को गोइंग कन्सर्न के रूप में प्रभावित कर सके। इस संबंध में कृपया हमारी मुख्य रिपोर्ट के पैरा 2(च) (vii) की टिप्पणी को देखें जहाँ हमने बताया है कि कंपनी अब सक्रिय स्थिति में नहीं है।

2. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भंडार का पूरा स्टॉक एवं अतिरिक्त कलपुर्जे इंडियन एयरलाइन्स लि0(वर्तमान में एअर इंडिया लि.) की अभिरक्षा में हैं तथा प्रत्यक्ष सत्यापन भी (यदि कोई हो) उनके द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में कंपनी के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। लेखा पुस्तिका में अप्रचलन के लिए पहले ही 100% प्रावधान किया गया है।

3. (क) कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टी को किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध करना अपेक्षित हो। कंपनी ने चार पार्टियों से कुल मिलाकर 40.72 करोड़ रुपए का अरक्षित ऋण लिया है।

(ख) कंपनी द्वारा लिए गए जमा की ब्याज दर तथा अन्य शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में नोट सं0 1.1 तथा मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2(च) में हमारी टिप्पणियों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ग) कंपनी केवल शैल कंपनी है जिसका इंडियन एयरलाइन्स लि0 (वर्तमान में एअर इंडिया लि.) के साथ कानूनी विलय होना है। विलय की शर्तों के अनुसार सभी देयताएं एअर इंडिया लि0 द्वारा पूरी की जाएंगी।

4. चूंकि कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है तथा भंडार एवं स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है, अतः वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया संबंधी पैरा का प्रावधान लागू नहीं होता है।

5. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वस्तुओं और सामग्री की खरीद तथा वस्तुओं, सामग्री या सेवाओं की बिक्री का कोई लेन–देन नहीं किया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि करना अपेक्षित हो।

6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जन साधारण से कोई जमा स्वीकार नहीं की अतः इस पैरा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

7. कंपनी की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।

8. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के तहत कंपनी द्वारा लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।

9. कंपनी ने चूंकि दिनांक 01.04.1997 से व्यावसायिक प्रचालन बंद कर दिया है तथा तदनुसार कंपनी को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, आयकर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी तथा अन्य लागू महत्त्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित समुचित प्राधिकृत निर्विवादित देयों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

 (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, उपकर, सेवा कर तथा अन्य लागू सांविधिक देय दिनांक 31.03.2013 तक 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थे।

 (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी तथा उपकर, सेवा कर तथा किसी विवाद के कारण जमा न कराए गए अन्य लागू महत्त्वपूर्ण सांविधिक देय बकाया नहीं थे।

10. कंपनी के 258.17 करोड़ रु0 के संचित घाटे कंपनी के नेट वर्थ से कहीं अधिक हैं। कंपनी दिनांक 1.4.1997 से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है। कंपनी को लेखा परीक्षा वर्ष तथा इससे तत्काल पहले के वर्ष में भी नकद हानि हुई।

11. कंपनी ने गिरवी के रूप में प्रत्याभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

12. चिट फंड संबंधी खंड 4(xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता।

13. कंपनी शेयर/सिक्योरिटी एवं डिबेंचर तथा अन्य निवेशों में कोई लेन–देन या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार खंड 4(xiv) लागू नहीं होता।

14. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

15. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी ऋण नहीं लिया। कंपनी ने चूंकि दिनांक 01.04.1997 से अपना व्यावसायिक प्रचालन बंद किया था, अतः उस अवधि से पूर्व लिए गए आवधिक ऋण की उपयोगिता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

16. भारत सरकार ने दिनांक 25.05.1993 के अपने आदेश द्वारा इंडियन एयरलाइन्स लि0 के साथ कंपनी के विलय का आदेश जारी किया था तथा ऋण स्थगन किया गया था। परिसंपत्तियाँ तथा देयताएं लंबे समय से बकाया हैं। अतः हम निधियों की उपयोगिता पर अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हैं।

17. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया।

18. डिबेंचर संबंधी खंड 4(xix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

19. पब्लिक इश्यू से एकत्रित धनराशि के अंतिम उपयोग संबंधी खंड 4(xx) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

20. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा, किसी भी धोखाधड़ी के मामले की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृते तथा उनकी ओर से
ekFkqj vxzoky ,.M dEiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005469N

हस्ता./–
¼fryd jkt pkoyk½
भागीदार
सदस्यता सं. 095619

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

fnukd 31 ekp 2013 dk lekIr o"k d fy, rqyu i= rFkk ykHk&gkfu [kkr ij ys[kk ijh{kdk dh fjiksV ij funs'kdk dk mÙkj

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खाते पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशक मंडल ने विचार किया। उक्त रिपोर्ट में दी गई लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल के उत्तर इस प्रकार हैंः–

ys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k l lcfèkr iSjk l[;k	icèk oxl d mÙkj
5(I)	कई वर्षों से कोई प्रचालन नहीं हो रहा है, यह सत्य है कि विषयगत कंपनी गोइंग कन्सर्न नहीं है। पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि0 अब एअर इंडिया, के साथ कंपनी को विलय करने के भारत सरकार के मई 1993 के निर्णय के परिणामस्वरूप, विलय संबंधी औपचारिकताओं के पूरा होने और उन्हें किए जाने तक जोकि जल्द ही पूरा होने की संभावना है, कंपनी लेखे वर्षों से तैयार किए जा रहे हैं।
5 (II) तथा (III)	नैसिल (पूर्व इंडियन एयरलाइन्स) के साथ कंपनी के विलय की कानूनी औपचारिकताओं के वर्ष 2013–14 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नैसिल, वर्तमान में एअर इंडिया द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
5(IV)	यह वर्षों से लगातार अपनाई जा रही कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसरण में है।
5(V)	डेबिट / क्रेडिट में पार्टियों के बकायों के शेष मिलान की दृष्टि से उनके अनुरूप है।
5(VI)	कंपनी के विधि प्रावधानों और लेखाकरण नीतियों के अनुसार मूल्यह्रास, संदेहास्पद ऋणों आदि के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं को बही मूल्य के अनुसार दर्शाया जाता है। कंपनी के उड़ान प्रचालन 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दिए गए थे और यह कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कर रही है। इसलिए परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है और लेखे गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।
5(VII)(क)	यह भारत सरकार के निर्णय के अनुसार है। हस्तांतरित करते समय कोई मूल्यांकन उपलब्ध न होने के कारण इन परिसंपत्तियों को 1/– रु. के नाममात्र मूल्य पर लिया गया। इसके अतिरिक्त एग्रो एविएशन डिवीज़न के विमान/हैलीकॉप्टरों को वर्ष 2002–03 में बेच दिया गया था तथा सरकार के निदेशानुसार समग्र बिक्री से प्राप्त आय के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
5(VII)(ख)	कंपनी कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कर रही है। वायुदूत के विमान नैसिल वर्तमान में एअर इंडिया द्वारा प्रचालित किए जा रहे हैं तथा उसके उड़ान बेड़े के प्रचालनों तथा अनुरक्षण के व्यय को नैसिल वर्तमान में एअर इंडिया द्वारा किया जा रहा था। नैसिल ने दिनांक 03 अगस्त, 2008 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में इन लेखों को फेज़ आउट करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार इंजनों सहित विमान नैसिल वर्तमान में एअर इंडिया को अंतरित कर दिए गए हैं।
5(VIII)	प्रबंधन का यह विचार है कि दर्शाए गए ऋण तथा अग्रिम सामान्यतः वसूली योग्य होते हैं।
ys[kk ijh{kd dh fjiksV d lnfHkr vuqyXud e fVIif.k;k Lor% Li"V g rFkk lkofèkd vi{kkvk d vuq:i gA rFkkfi] ;Fkkif{kr gekjh fVIif.k;k fuEukuqlkj g %&	
पैरा (1) (क, ख एवं ग)	मदें नोट कर ली गई हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाता है जिसमें पूरा विवरण दिया जाता है। वास्तविक सत्यापन के संबंध में, परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह कार्य जारी है।
पैरा (2)	चूंकि उड़ान प्रचालन इंडियन एयरलाइन्स लि. (वर्तमान में एअर इंडिया) को अंतरित कर दिए गए हैं, अतः इसका रिकार्ड इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा रखा जाता है।
पैरा (7)	विलय के निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी ने अपने उड़ान प्रचालन को बंद कर दिया और कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की है। मुख्यालय में कुछ प्रविष्टियाँ भेजी गईं। अतः प्रबंध वर्ग का विचार है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अपेक्षित नहीं है।
पैरा (10)	प्रबंध वर्ग का यह विचार है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है। दिनांक 26.08.2011 के सी एंड एजी पत्र के संदर्भ में लेखा परीक्षा शुल्क देय है तथा मूल्यह्रास को नकद हानि नहीं माना जाता।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता. /–
¼,- t ;pUnu½
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ dk rqyu i=

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	fVIi.kh la-	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
bfDoVh ,oa ns;rk,a			
'ks;j /kkjdksa dh fuf/k			
शेयर पूंजी	2.01	**364,200,000**	364,200,000
आरक्षित एवं अधिशेष	2.02	**(2,546,323,551)**	(2,545,410,341)
		(2,182,123,551)	(2,181,210,341)
Pkkyw ns;rk,a			
अल्पावधि ऋण	2.03	**407,200,000**	407,200,000
व्यापार देय	2.04	**1,625,855,060**	1,625,314,387
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2.05	**168,506,851**	168,506,851
		2,201,561,911	2,201,021,238
dqy		**19,438,360**	19,810,897
ifjlEifÙk;ka			
xSj pkyw ifjlEifÙk;ka			
स्थिर परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	2.06	**2,727,991**	3,100,528
		2,727,991	3,100,528
Pkkyw ifjlEifÙk;ka			
buosUVjht+	2.07		
व्यापार प्राप्य	2.08	**15,530,419**	15,530,419
नकद एवं बैंक शेष	2.09		
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	2.10	**1,179,950**	1,179,950
		16,710,369	16,710,369
dqy		**19,438,360**	19,810,897
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	1 एवं 2		

उक्त संदर्भित टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अविभाज्य भाग हैं।

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा की ओर से
/kqo vxzoky ,.M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005469N

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता/–
'kQkyh tqutk
निदेशक

हस्ता/–
fryd jkt pkoyk
भागीदार
सदस्यता सं. 095619

हस्ता/–
,- t;pUnzu
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

31 ekp] 2013 dk lekIr o"k d fy, ykHk rFkk gkfu [kkrk

¼jkf'k #i;s eas½

fooj.k	fVIi.kh l-	2012&13	2011–12
vk;			
ipkyu l jktLo	2.11	**-**	-
dy vk;		**-**	-
0;;			
कर्मचारी लाभ व्यय	2.12	**-**	-
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2.13	**372,537**	372,537
अन्य व्यय	2.14	**540,673**	658,152
dy 0;;		**913,210**	1,030,689
		(913,210)	(1,030,689)
dj l iol ykHk			
dj 0;;			
चालू कर		**-**	-
आस्थगित कर		**-**	-
0k"kl d fy, ykHk		**(913,210)**	(1,030,689)
ifr'k;j vk; ¼1000 #i, d vfdr eY; ij½	2.15		
मूल		**(2.51)**	(2.83)
विनिवेशित		**(2.51)**	(2.83)
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	1 एवं 2		

उक्त संदर्भित टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अविभाज्य भाग हैं।
हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा की ओर से
/kko vxoky ,.M diuh
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005469N

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता/–
'kQkyh tuk
निदेशक

हस्ता/–
fryd jkt pkoyk
भागीदार
सदस्यता सं. 095619

हस्ता/–
,- t ;pUnu
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.k ds Hkkx fufeZr djus okyh fVIif.k;ka

ukV ^^1^^ % Ik"BHkfe rFkk egÙoi.kZ ys[kk uhfr;ka

1-1 dEiuh dh lf{kIr i"BHkfe

ok;|nr fy- dk bfM;u ,;jykbUl fy- ¼vc ,vj bfM;k fy-½ ds lkFk foy;

भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 25 मई 1993 के अपने पत्र संख्या एवी18013/44/92–एसीवीएल के माध्यम से, कंपनी को इंडियन एयरलाइन्स लि. के साथ विलय करने के अपने निर्णय की सूचना दी है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि :–

क) एअर इंडिया लि0 द्वारा रखे गए कंपनी के इक्विटी शेयरों को नाममात्र की कीमत पर इं.ए.लि. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

ख) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंको को देय देयताओं की आपूर्ति पर 5 वर्षों की अवधि के लिए ऋणस्थगन किया जाएगा तथा तत्पश्चात इन देयताओं को इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा दस वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। किस्त के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में, उस समय प्रचलित बैंक ब्याज दर पर ब्याज देय होगा।

ग) विलय की कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक, कंपनी को इंडियन एयरलाइन्स लि. के एक स्पष्ट पहचानने योग्य अलग प्रभाग के रुप में रखा जाएगा।

भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप :–

(i) एअर इंडिया लि. की 18.21 करोड़ रू. की समस्त शेयर होल्डिंग को 1/– रूपए पर इंडियन एयरलाइन्स लि. को हस्तांतरित कर दिया गया तथा इस प्रकार कंपनी इंडियन एयरलाइन्स लि. के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत इंडियन एयरलाइन्स लि. के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

(ii) कंपनी के कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स लि. तथा एअर इंडिया में आमेलित कर लिया गया।

(iii) 1 अप्रैल, 97 से कंपनी के उड़ान प्रचालन को बंद कर दिया गया और यह किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं कर रही है। अतः यह कंपनी इंडियन एयरलाइन्स लि. के साथ कानूनी रूप से विलय होने तक एक "शैल कंपनी" के रूप में है। इस समय कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं है। कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को, कंपनी नियम उपबंधों तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार, मूल्यह्रास, संदिग्ध ऋण इत्यादि के लिए आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात बही मूल्य के अनुसार दर्शाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है और लेखों को गोइंग कन्सर्न आधार पर तैयार किया जा रहा है।

_.k LFkxu rFkk foy; dh orZeku fLFkfr %&

(iv) देयताओं/सर्विसिंग पर पांच वर्षों के आरंभिक ऋण स्थगन को दिनांक 3 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या एवी. 18030/3/97 के द्वारा 24 मई, 2000 तक और आगे बढ़ा दिया गया और दिनांक 17 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या एवी.18030/3/97–एसीआईए (वाल्यूम – IV) द्वारा इसे 31 मार्च 2005 तक पुनः आगे बढ़ा दिया गया तथा दिनांक 28 जुलाई 2006 के पत्र संख्या एवी.18030/3/97 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 तक इसे पुनः आगे बढ़ा दिया गया।

(v) भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 17 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या एवी, 18030/3/97–एसीआईए (वाल्यूम IV) के माध्यम से इंडियन एयरलाइन्स लि. को अपने दावों के पूर्ण तथा अंतिम निपटान के लिए निम्नलिखित लेनदारों की देयताओं को पूरा करने के लिए सिद्धांत रूप से एक बारगी 138,30,75,560/– रूपए की बजटीय सहायता के अनुमोदन संबंधी सरकार के निर्णय की सूचना दी गई :–

(क)	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि.	114,70,00,000 रुपए
(ख)	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	7,88,28,767 रुपए
(ग)	तेल कंपनियां	8,99,92,000 रुपए
(घ)	बैंक	4,37,54,793 रुपए
(ङ)	अन्य	2,35,00,000 रुपए
	dqy	1]38]30]75]560 #i,

सरकार ने 138,30,75,560/–रुपए की राशि इंडियन एयरलाइन्स लि0 को दो चरणों में जारी की है जिसमें से उन्होंने 135,48,55,835/–रु. का भुगतान किया है। इस लेखे से संबंधित शेष को इंडियन एयरलाइन्स लि. के लेखे में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(vi) इसके अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना तथा भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय के दिनाक 21 फरवरी, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी 18030/3/97–एसीआईए (वाल्यूम IV) के माध्यम से इंडियन एयरलाइन्स को निम्नलिखित लेनदारों के संबंध में 1,27,85,88,058/–रुपए की राशि की देयताओं को बट्टे खाते में डाल दिये जाने से भारत सरकार के निर्णय की सूचना दी गई :–

(क) इंडियन एयरलाइन्स लि.	69,15,63,232 रुपए
(ख) एअर इंडिया	17,06,37,210 रुपए
(ग) आई ए ए आई	7,70,16,052 रुपए
(घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	14,86,60,130 रुपए
(ङ) नागर विमानन मंत्रालय	15,96,68,187 रुपए
(च) आई ए टी टी	3,10,43,247 रुपए
dqy	1]27]85]88]058 #i,

नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के संबंध में देयता को वित्त वर्ष 2005–06 में पुनरांकित किया गया था। ऋणों/देय ब्याज एवं अन्य देयताओं की शेष राशि को बही मूल्य पर दर्शाया जा रहा है। विलय की कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और इसे विलयित इकाई के खातों में लेखाबद्ध किया जाएगा।

1-2 egÙoi.kZ ys[kkdu uhfr;k

d- ys[kkdu dk vk/kkj %&

लेखों को परम्परागत लागत के आधार पर तैयार किया गया है।

[k- ewY;gzkl %&

(i) स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, स्ट्रेट लाइन पद्धति से प्रभारित किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 18 अप्रैल 1981 को हुई बैठक में दी गई स्वीकृति के अनुसार, 2 अप्रैल 1987 से पूर्व प्राप्त की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, विभिन्न परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन को ध्यान में रखकर प्रभारित किया गया है। विमान तथा विमान इंजनों के मामले में अनुमानित कार्यजीवन के पश्चात् अवशिष्ट मूल्य लागत का 10% लिया गया है जबकि अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के मामले में अवशिष्ट मूल्य लागत का 5% लिया गया है। कंपनी संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधन के परिणामस्वरूप 2 अप्रैल, 1987 के पश्चात् अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया गया है।

(ii) 2 अप्रैल, 1987 से पूर्व ली गई परिसंपत्तियों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित की गई मूल्यह्रास दरें इस प्रकार हैं :–

ifjlEifÙk;ksa dk ewY;gzkl	2 vizSy] 1987 ls iwoZ yh xbZ ifjlEifÙk;ksa ds fy, njsa
विमान	7.5%
विमान इंजन	7.5%
मोटर वाहन	19%
स्थल सहायता उपकरण	19%
फर्नीचर एवं उपस्कर	9.5%

(iii) खातों में 1/–रु. के नाममात्र मूल्य पर ली गई एग्रो एविएशन की परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया।

(iv) 5000/–रु. तथा इससे कम लागत के संयंत्र तथा मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों पर उनकी खरीद के वर्ष ही 100% मूल्यह्रास दिया गया है।

x- HkaMkj ,oa dy&iqtksZa dk ewY;kadu %&

भंडार एवं कल–पुर्जों का मूल्यांकन पहले आवक पहले जावक आधार पर लागत पर किया जाता है। विमान भंडार तथा कलपुर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान भंडार एवं कलपुर्जों के मूल्य के 100% तक किया गया है।

?k- iokofèk 0;;@vk; %&

10,000/–रु. से अधिक व्यय/आय की व्यक्तिगत मदों के संबंध में पूर्वावधि से संबंधित लेन–देन का, लाभ एवं हानि खाते में "पूर्वावधि समायोजन लेखा" के अंतर्गत लेखा दिया गया है।

³ lkekU; HkMkj] miHkkX; rFkk bèku :–

सामान्य भंडार तथा उपभोग्य को खरीद के समय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

p- chek nkok :–

1,00,000/–रु. से अधिक वसूली योग्य दावों का जिनमें बीमा कंपनी से ले–अप रिफन्ड सम्मिलित है, का प्रोद्भवन आधार पर लेखा दिया गया है।

N- okjVh nkok rFkk olwyh ;kX; C;kt :–

विलम्ब से भुगतान पर टिकटिंग एजेंटों तथा अन्य से वसूली योग्य ब्याज तथा वारंटी दावों का वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकन किया जाना है।

t- lfnXèk _.kk dš fy, iàoèkku %&

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, कंपनी द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने पर अथवा कालातीत हो चुके ऋणों, जो भी पहले हो, पर किया जाता है।

>- minku %&

कंपनी द्वारा उपदान देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है। उपदान देयता की राशि का अभिनिश्चय नहीं किया गया। तथापि, विलय की अधिसूचना के पश्चात् सभी कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स लि./एअर इंडिया लि., अब एअर इंडिया लि. में आमेलित कर लिया गया है और वायुदूत लि. में कार्य के लिए कर्मचारियों की उपदान देयता का वहन संबंधित कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

¥- vkfFkd lgk;rk@vuqnku %&

आर्थिक सहायता/अनुदान का लेखा प्राप्ति आधार पर किया गया है।

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा की ओर से
/kko vxoky ,.M dEiuh
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005469N

हस्ता/–
fryd jkt pkoyk
भागीदार
सदस्यता सं. 095619

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता/–
'kQkyh tuu tk
निदेशक

हस्ता/–
,- t;pUnu
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013

ukV ^^2-01** % 'k;j iwth

¼jkf'k #i;s eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k	शेयरों की संख्या	राशि
ikf/kÑr				
1000/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**500,000**	**500,000.000**	500,000	500,000.000
dqy	**500,000**	**500,000.000**	500,000	500,000.000
Tkkjh] vfHknÙk vkSj iznÙk				
1000/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में	**364,200**	**364,200.000**	364,200	364,200.000
जमा: वर्ष के दौरान जारी किए गए	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में	**364,200**	**364,200.000**	364,200	364,200.000
dqy	**364,200**	**364,200.000**	364,200	364,200.000

2-01¼d½ fu;a=d dEiuh }kjk fu;fU=r 'ks;jksa dk fooj.k

'ks;j /kkjd dk uke	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	oxZ esa fu;a=.k dk izfr'kr	शेयरों की संख्या	वर्ग में नियंत्रण का प्रतिशत
एअर इंडिया लिमिटेड	**364,200**	**100.00**	364,200	100.00

2-01¼[k½ 'ks;j/kkjdksa dk fooj.k ftudh ikl dEiuh dh 5% ls vf/kd 'ks;j gSA

'ks;j /kkjd dk uke	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	oxZ esa fu;a=.k dk izfr'kr	शेयरों की संख्या	वर्ग में नियंत्रण का प्रतिशत
एअर इंडिया लिमिटेड	**364,200**	**100.00**	364,200	100.00

2-01¼x½ 31 ekpZ] 2012 rFkk 31 ekpZ 2011 dks 'ks;j iwath dh jkf'k rFkk cdk;k 'ks;jksa dh la[;k dk lek;kstu fuEukuqlkj gSA

¼jkf'k #i;s eas½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks		31 मार्च 2012 को	
	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में	**364,200**	**364,200,000**	364,200	364,200,000
जमा: वर्ष के दौरान जारी किए गए	-	**-**	-	-
अवधि के अंत में शेयरों की संख्या	**364,200**	**364,200,000**	364,200	364,200,000

ukV ^^2-02** % vkjf{kr ,o vf/k'k"k

¼jkf'k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च 2012 को
d½ vkjf{kr iwath *	**35,438,127**	35,438,127
[k½ ykHk&gkfu [kkrs esa ¼?kkVk½@¼vf/k'k"k½		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(2,580,848,868)**	(2,579,817,779)
जमा / (घटा) वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	**(913,210)**	(1,030,689)
	(2,581,761,678)	(2,580,848,468)
dqy	**(2,546,323,551)**	(2,545,410,341)

* पूंजी आरक्षित 1988–89 तथा 1989–90 में क्रैश हुए विमान के बही मूल्य के अतिरिक्त बीमा दावे से प्राप्त प्राप्तियों को दर्शाती है।

ukV ^^2-03** % vYi vfo/k _.k

¼jkf'k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च 2012 को
vjf{kr		
– बैंक से	**-**	-
– नियंत्रक कंपनी से*	**250,000,000**	250,000,000
– अन्यों से		
भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	**55,000,000**	55,000,000
नागर विमानन मंत्रालय	**102,200,000**	102,200,000
dqy	**407,200,000**	407,200,000
*नियंत्रक कंपनी से ऋणों का विवरण निम्नानुसार है :–		
एअर इंडिया लिमिटेड	**150,000,000**	150,000,000
पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि0 से (अब एअर इंडिया लि0 के साथ विलयित)	**100,000,000**	100,000,000
dqy	**250,000,000**	250,000,000

2-03¼d½ बकाया शेष समायोजन एवं पुष्टिकरण के अधीन है।

2-03¼[k½ नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17.1.2005 की अधिसूचना सं0 एवी 18030/3/97–एसीआईए (वाल्यूम–IV) तथा दिनांक 21.2.2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा 127,85,88,058 रुपए की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने संबंधी भारत सरकार के निर्णय की सूचना इंडियन एयरलाइन्स लि0 को दी गई जिसमें निम्नलिखित अरक्षित ऋण भी सम्मिलित है।

¼jkf'k #i;s esa½

एअर इंडिया लिमिटेड	**150,000,000**	150,000,000
पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि0 से (अब एअर इंडिया लि0 में विलयित)	**100,000,000**	100,000,000
भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	**55,000,000**	55,000,000
नागर विमानन मंत्रालय	**102,200,000**	102,200,000

विलय की कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने का कार्य लंबित होने के कारण कंपनी के खातों में भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नोट "2.04" व्यापार देय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
व्यापार देय	**1,625,855,060**	1,625,314,387
कुल	**1,625,855,060**	1,625,314,387

2.04(क) व्यापार देय सम्मिलित है		
व्यय के लिए प्रावधान	**92,093,903**	92,093,903
नियंत्रक कंपनी को देय	**1,431,883,767**	1,431,839,647

2.04(ख) नियंत्रक कंपनी को देय राशि में वह राशि भी सम्मिलित है जिसे बट्टे खाते में डालने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार (देखें टिप्पणी 1.1 (vi) यह राशि मूल बही मूल्य पर पुस्तकों में निरंतर दर्शाई जा रही है। इंडियन एयरलाइन्स लि0 को देय 69,15,63,271 रुपए की कुल राशि को बट्टे खाते में डालने के निर्देश प्राप्त हुए थे। अरक्षित ऋण तथा देय ब्याज के तहत क्रमशः 10,00,00,000 तथा 3,00.83.296 रुपए बकाया हैं। 56,14,79,935 रुपए की शेष राशि को व्यापार देय से बट्टे खाते में डाला जाना है। — **561,479,935** — 561,479,935

2.04(ग) शेष समायोजन एवं पुष्टिकरण के अधीन है।

2.04(घ) 9,20,93,903/– रुपए के व्यय के लिए किए गए प्रावधान पिछले वर्षों में किए गए प्रावधान को दर्शाते हैं। इन प्रावधानों की वास्तविक देयताएं भिन्न हो सकती हैं तथा अभी समायोजित की जानी हैं। तद्नुसार परिणामी प्रभार/विपर्यय लेखाबद्ध नहीं है।

नोट "2.05" अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
देय ब्याज				
एअर इंडिया लिमिटेड	**20,637,210**		20,637,210	
पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि0	**30,083,296**		30,083,296	
भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	**22,016,052**		22,016,052	
नागर विमानन मंत्रालय	**57,468,187**	**130,204,745**	57,468,187	130,204,745
अन्य देयताएं		**35,434,603**		35,434,603
प्राप्त सुरक्षा जमा		**1,500,568**		1,500,568
उधारी ग्राहक		**1,366,935**		1,366,935
कुल		**168,506,851**		168,506,851

2.05(क) देय ब्याज उन ऋणों पर ब्याज को दर्शाता है जिन्हें बट्टे खाते में डालने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार (देखें टिप्पणी 1.1 (vi) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। राशि, खातों में मूल खाता मूल्यों पर निरंतर दर्शाई जा रही है।

2.05(ख) अन्य देयताओं में शामिल

	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
i) नियंत्रक कंपनी को देय राशि	**1,722,723**	1,722,723
ii) एग्रो प्रभाग के स्थानांतरण के लिए नागर विमानन मंत्रालय को देय राशि	**1**	1
iii) आईएटीटी को देय राशि जिसे बट्टे खाते में डालने के निर्देश जारी किए गए (देखें टिप्पणी 1.1 (vi) परंतु जो मूल खाता मूल्यों पर निरंतर दर्शाई जा रही है ।	**31,043,247**	31,043,247

2.05(ग) शेष समायोजन/पुष्टिकरण के अधीन है ।

ukV ^^2-06** % ewrZ ifjlEifÙk;k

¼jkf'k #i;s esa½

fooj.k	Ykkxr				ykxr			
	1 अप्रैल, 2011 को	जमा	घटा	31 मार्च, 2012 को	जमा	घटा	अन्य समायोजन	31 ekpZ 2013 dks
फर्नीचर और फिक्सचर	15,080,741	–	–	15,080,741	–	–	–	**15,080,741**
संयंत्र तथा मशीनरी*	15,884,674	–	–	15,884,674	–	–	–	**15,884,674**
वाहन	980,498	–	–	980,498	–	–	–	**980,498**
dqy	31,945,913	–	–	31,945,913	–	–	–	**31,945,913**

fooj.k	ewY;gkl				ewY;gkl			
	1 अप्रैल, 2011 को	जमा	घटा	31 मार्च, 2012 को	जमा	घटा	अन्य समायोजन	31 ekpZ 2013 dks
फर्नीचर और फिक्सचर	12,216,407	359,065	–	12,575,472	359,065	–	–	**12,934,537**
संयंत्र तथा मशीनरी*	15,315,464	13,472	–	15,328,936	13,472	–	–	**15,342,408**
वाहन	940,977	-	–	940,977	-	–	–	**940,977**
dqy	28,472,848	372,537	–	28,845,385	372,537	–	–	**29,217,922**

vxzuhr jkf'k	-	**.**
फर्नीचर और फिक्सचर	2,505,269	**2,146,204**
संयंत्र तथा मशीनरी	555,738	**542,266**
वाहन	39,521	**39,521**
dqy	3,100,528	**2,727,991**

*संयंत्र तथा मशीनरी स्थल सहायता उपकरणों को दर्शाते हैं ।

2-06¼d½ नागर विमानन मंत्रालय के एग्रो एविएशन प्रभाग को भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या एवी/18030/112/87 के माध्यम से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया । "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित परिसंपत्तियों को 1/–रु. के नाममात्र के भुगतान पर कंपनी के लेखों में सम्मिलित कर लिया गया। इन परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग का वर्षों के दौरान निपटान कर दिया गया है।

2-06¼[k½ 31 मार्च, 2009 तक 2 विमान प्रचालनात्मक थे, जिनका प्रचालन नैसिल द्वारा किया जा रहा था। ये विमान डीजीसीए में नैसिल के नाम पर पंजीकृत हैं तथा उनके प्रचालन एवं अनुरक्षण का सारा खर्च नैसिल द्वारा वहन किया जा रहा है। नैसिल बोर्ड ने दिनांक 03 अगस्त, 2008 को हुई अपनी 14वीं बैठक में इन विमानों को फेज आउट करने तथा विमानों के निपटारे के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, दोनों विमानों को इंजन सहित डब्ल्यू डी वी पर वित्तीय वर्ष 2009–10 में नैसिल में अंतरित कर दिया गया।

2-06¼x½ चूंकि कानूनी तौर पर कंपनी का (एअर इंडिया लि0) के साथ विलय होना अभी बाकी है, इसलिए कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वायुदूत लि. के लेखों में ही दर्शाया जा रहा है तथा जहाँ भी मूल्यह्रास लागू है, उसे कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तथापि, सभी परिसंपत्तियों का नैसिल द्वारा प्रचालन एवं अनुरक्षण एअर इंडिया लि0 द्वारा किया जा रहा है।

ukV ^^2-07** % bUosUVjh

¼jkf'k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dh fLFkfr	31 मार्च, 2012 को स्थिति
भंडार एवं कल–पुर्जों की इनवेंटरी	**67,135,452**	67,135,452
घटाकर : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**67,135,452**	67,135,452
dqy	**-**	-

ukV ''2-08** % 0;kikj ikI;

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	31 ekp] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण जिनका भुगतान शेष है ।		
रक्षित, खरे माने गए	**664,514**	664,514
अरक्षित, खरे माने गए	**14,865,905**	14,865,905
अरक्षित, संदेहास्पद माने गए	**20,895,160**	20,895,160
	36,425,579	36,425,579
घटाकर : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**20,895,160**	20,895,160
	15,530,419	15,530,419
अन्य ऋण		
अरक्षित, खरे माने गए	**-**	-
अरक्षित, संदेहास्पद माने गए	**-**	-
	-	-
घटाकर : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	-
	-	-
dqy	**15,530,419**	15,530,419
* नियंत्रक कंपनी को देय राशि शामिल है।	**2,800,670**	2,800,670

2-08¼d½ शेष समायोजन एवं पुष्टिकरण के अधीन है।

2-08¼[k½ सुरक्षा जमा या इसके समतुल्य या अधिक क्रेडिट शेष रखने वाले देनदारों को रक्षित देनदार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ukV ''2-09** % Ukdn rFkk cSad 'ks"k

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	31 ekp] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
हाथ में रोकड़	**-**	-
बैंक शेष	**-**	-
चालू खाते	**-**	-

ukV ''2-10** % vYikof/k _.k rFkk vfxze

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	31 ekp] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
दिल्ली उच्च न्यायालय के पास सुरक्षा जमा	**896,584**	896,584
अन्य जमा	**5,672**	5,672
कर्मचारियों के लिए लीज़ पर लिए गए आवास के लिए सुरक्षा जमा		
खरे माने गए	**6,000**	6,000
संदेहास्पद माने गए	**27,100**	27,100
कर्मचारियों से वसूली योग्य टीडीएस – (संदेहास्पद माने गए)	**29,388**	29,388
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि – (खरी मानी गई)	**65,756**	65,756
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि – (संदेहास्पद मानी गई)	**52,896**	52,896
पूर्व प्रबंध निदेशक से वसूली योग्य राशि	**176,550**	176,550
	1,259,946	1,259,946
घटाकर : संदेहास्पद अग्रिम/सुरक्षा जमा के लिए प्रावधान	**79,996**	79,996
dqy	**1,179,950**	1,179,950

2-08¼d½ शेष पुष्टिकरण के अधीन है।

ukV ^2-11** % izpkyuksa ls jktLo

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
प्रचालनों से राजस्व	**-**	-
dqy	**-**	-

ukV ^2-12** % deZpkjh ykHk & 0;;

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
कर्मचारी लाभ – व्यय	**-**	**-**
dqy	-	-

ukV ^2-13** % ewY;gkl rFkk ifj’kks/ku 0;;

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	**372,537**	372,537
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	**-**	-
dqy	**372,537**	372,537

ukV ^2-14** % vU; 0;;

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
विदेशी विनिमय हानि	**495,729**	613,208
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	**44,944**	44,944
dqy	**540,673**	658,152

ukV ^2-15** % Ikfr 'ks;j vk;

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**(913,210)**	(1,030,689)
वर्ष के दौरान बकाया 1,000/–रु0 के प्रति इक्विटी शेयर की कुल संख्या	**364,200**	364,200
प्रति शेयर मूल आय	**(2.51)**	(2.83)
प्रति शेयर विनिवेशित आय	**(2.51)**	(2.83)

ukV ^2-16** % vkdfLed nkf;Ro

¼jkf’k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
कानूनी दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया।	**5,997,878**	5,997,878
dqy	**5,997,878**	5,997,878

ukV ^^2-17** % vfrfjDr lwpuk

¼jkf'k #i;s esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
क) अतिरिक्त सूचना	'kwU;	शून्य
ख) पैसों को निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किया गया		
ग) गत वर्ष के आंकडों का समूहीकरण तथा/या पुनः वर्गीकरण		

हमारी उसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा की ओर से
/kou vxzoky ,.M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005469N

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता/–
'kQkyh tqustk
निदेशक

हस्ता/–
fryd jkt pkoyk
भागीदार
सदस्यता सं.: 095619

हस्ता/–
,- t;pUnzu
उप महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर 2013